न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 108/2021 **दायर दिनांक :—05.07.2021**

उनवान

1. मोहनलाल आयु 58 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. हजारीलाल आयु 57 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द जाति जाटव
2. महेन्द्र आयु 32 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड
3. महावीर आयु 34 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड
4. मूलचन्द आयु 57 वर्ष रामनारायण जाति धाकड निवासीगण सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादी क्रम 1 :— स्वयं

निर्णय

दिनांक 17/08/2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वादी द्वारा संक्षिप्त में वाद इस आश्य का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सहरोद पटवार क्षेत्र सहरोद तहसील अटरू में खाता संख्या 387 का ख0नं0 1901/721 का रकबा 1.03 है0, ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0, ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.81 है0 आराजी वादी के दर्ज खाता स्थित है। वाद पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 एवं नकल नक्शा ट्रेस पेश है जो काबिल गौर है। वादी की उक्त आराजी के लगवा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 की आराजी स्थित है। प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 ने वादी के स्वामित्व ही आराजी के ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 तथा प्रतिवादी क्रम 4 ने वादी के स्वामित्व की आराजी के ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 में से लगभग 0.08 है0 पर जबरन दादागिरी के बल पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर गत वर्ष से अपने खेतों में मिला लिया। वादी ने मना किया तो वादी के साथ गाली गलोच की तथा कब्जा छोडने से मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 को तथा ख0नं0 1902/729 का

रकबा 0.36 है0 में से 0.08 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 4 को बेदखल किया जाना संभव नहीं है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 को वादी के स्वामित्व की उक्त आराजी पर से बेदखल नहीं किया गया तो वादी अपने स्वामित्व की आराजी पर प्राप्त हक हकूकों से वंचित हो जावेगा तथा जिसके फलस्वरूप वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 निम्न आशय की पारित की जावे कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 को तथा ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 में से 0.08 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 20.05.2020 को वादी द्वारा उसके स्वामित्व की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 से कब्जा छोडने का निवेदन करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 25.05.2021 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा कब्जा छोडने से साफ इन्कार करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद बेदखली तथा स्थायी निषेधाज्ञा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू को प्रतिवादी क्रम 5 वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल सहरोद पटवार क्षेत्र सहरोद तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 पारित की जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 को तथा ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 में से 0.08 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उसके स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 4 व 5 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 4 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 5 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। अनुतोष वादी अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी की आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर रखा है। वादी अपने खाते की आराजी को निरन्तर रूप से काश्त कर रहा है। वादी ने ही प्रतिवादी की कब्जे काश्त व खाते की भूमि में कब्जा कर रखा है। जिसकी न्यायालय पैमाईश करा के भूमि मालिक को कब्जा दिलवाया जावे। यदि प्रतिवादी के कब्जे में वादी के खाते की कोई भूमि मिलती है तो उसे छोडने के लिए प्रतिवादी तैयार है एवं वादी के कब्जे में यदि प्रतिवादी की भूमि मिलती है तो उसे प्रतिवादी को दिलवाया जावे। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं0 1—आया कि वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी के स्वामित्व की ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 को तथा ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 में से 0.08 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 4 को वादी बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नं0 2–आया कि वादी प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वादी को उसके स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे जिसके किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

वादी

तनकी नं0 3–आया कि प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर रखा है वादी अपने खाते की आराजी को निरन्तर रूप से काश्त कर रहा है।

प्रतिवादी क्रम 1

तनकी नं0 4–आया कि वादी ने ही प्रतिवादी क्रम 1 हजारीलाल की कब्जे काश्त व खाते की भूमि में कब्जा कर रखा है। जिसकी न्यायालय पेमाईश करा के भूमि मालिक को कब्जा दिलवाये जिसका प्रतिवादी क्रम 1 अधिकारी है।

प्रतिवादी क्रम 1

तनकी नं0 5–आया कि प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे में वादी के खाते की कोई भूमि मिलती है तो उसे छोडने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 तैयार है एवं वादी के कब्जे में यदि प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि मिलती है तो उसे छोडने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 तैयार है एवं वादी के कब्जे में यदि प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि मिलती है तो उसे प्रतिवादी क्रम 1 को दिलवाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 1

तनकी नं0 6–दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत pw1 मोहनलाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड निवासी सहरोद का शपथ पत्र पेश किया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू में ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 को तथा ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 में से 0.08 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा मुझे दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह मेरे स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

pw2 महावीर पुत्र भवानीशंकर निवासी सहरोद के शपथ गवाह बयान दर्ज किये गये। महावीर ने अपने बयानों में बताया कि मोहनलाल जी मेरे चाचा जी लगते है। मोहनलाल जी के खाते में लगभग 11 बीघा जमीन है। मोहनलाल जी की जमीन पर हजारीलाल, महेन्द्र, महावीर व

मूलचन्द ने कब्जा कर अपने खेतों में मिलाकर कब्जा कर रखा है। अतः मोहनलाल जी को उनके खाते की जमीन पर कब्जा दिलाया जाना उचित है।

pw3 उमाशंकर पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड निवासी सहरोद के शपथ गवाह बयान दर्ज किये गये। उमाशंकर ने अपने बयानों में बताया कि मोहनलाल जी मेरे भाई लगते है। उनके खाते में सहरोद के माल में लगभग 11 बीघा जमीन है। मोहनलाल जी की जमीन पर हजारीलाल, महेन्द्र, महावीर व मूलचन्द ने कब्जा कर अपने खेतों में मिला रखी है। मोहनलाल जी को उनके खाते की जमीन पर कब्जा दिलाया जावे।

5. अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी नं0 1– आया कि वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी के स्वामित्व की ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 3 को तथा ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 में से 0.08 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 4 को वादी बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि वादी के खाते की आराजी ग्राम सहरोद ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 एवं ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 में से लगभग 0.08 है0 पर प्रतिवादी क्रम 4 ने जबरन दादागिरी के बल पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है जिन्हे बेदलख कर वादी को कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर बहस के दौरान अभिभाषक वादी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी की आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर रखा है बल्कि स्वयं वादी ने मेरी भूमि पर कब्जा कर रखा है। उक्त विवादित आराजी की राजस्व विभाग की टीम से पेमाईश करवाई जावे यदि वादी के खाते की भूमि पर मेरा कब्जा निकलता है तो मैं उसे छोडने के लिए तैयार हूॅ और यदि वादी का मेरी भूमि पर कब्जा निकलता है तो उसे बेदखल किया जावे। प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा न तो कोई जवाब दावा पेश किया और न ही साक्ष्य व बहस पेश की गई।

अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सहरोद की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 (प्रदर्श 1) खाता संख्या 387 के ख0नं0 728 रकबा 0.42 है0 एवं ख0नं0 1902/729 रकबा 0.36 है0 आराजी वादी मोहनलाल पुत्र

बिरधीलाल के दर्ज खाता है अर्थात वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है– के संबधं में वादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। वादी द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यू 1 व 2 के सशपथ बयानों के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी के ख0नं0 728 के रकबा 0.42 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने एवं ख0नं0 1902/729 रकबा 0.36 है0 में से करीब 0.08 है0 भूमि पर प्रतिवादी क्रम 4 ने कब्जा कर रखा है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथापि मौखिक साक्ष्यों से वादी की विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का कब्जा होना जाहिर होता है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 विवादित आराजी का राजस्व विभाग की टीम से सीमाज्ञान करवाकर अवैध कब्जाधारी को बेदखल किये जाने पर समहत है। अतः तनकी नं0 1 आंशिकतः वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2– आया कि वादी प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वादी को उसके स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे जिसके किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। यदि वादी की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा पाया जाता है तो वह छोडने को तैयार है। अतः तनकी नं0 1 के निर्णय के आधार पर तनकी नं0 2 भी आंशिकतः वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3– आया कि प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर रखा है वादी अपने खाते की आराजी को निरन्तर रूप से काश्त कर रहा है। इसे साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त क्लेम के समर्थन में कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः तनकी नं0 3 प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4– आया कि वादी ने ही प्रतिवादी क्रम 1 हजारीलाल की कब्जे काश्त व खाते की भूमि में कब्जा कर रखा है। जिसकी न्यायालय पेमाईश करा के भूमि मालिक को कब्जा दिलवाये जिसका प्रतिवादी क्रम 1 अधिकारी है। इसे साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। यद्यपि

प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त क्लेम के समर्थन में कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है तथापि वादी बहस के दौरान इस तथ्य पर सहमत था कि यदि वादी का प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी पर कब्जा पाया जाता है तो वह छोडने के लिए तैयार है। अतः तनकी नं0 4 आंशिकतः प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5– आया कि प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे में वादी के खाते की कोई भूमि मिलती है तो उसे छोडने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 तैयार है एवं वादी के कब्जे में यदि प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि मिलती है तो उसे छोडने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 तैयार है एवं वादी के कब्जे में यदि प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि मिलती है तो उसे प्रतिवादी क्रम 1 को दिलवाया जावे। इसे साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। तनकी नं0 1, 2, 3 व 4 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 5 आंशिकतः प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा दस्तावेजी एवं मौखिक के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में आंशिकतः स्वीकार किये जाने योगय है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिकतः स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम एवं माल सहरोद पटवार क्षेत्र सहरोद तहसील अटरू में खाता संख्या 387 के ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 एवं ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 का राजस्व टीम बनाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान करावे और प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाये जाने पर उन्हे बेदखल कर खातेदार वादी को कब्जा संभलाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 108/2021

उनवान

1. मोहनलाल आयु 58 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. हजारीलाल आयु 57 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द जाति जाटव
2. महेन्द्र आयु 32 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड
3. महावीर आयु 34 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड
4. मूलचन्द आयु 57 वर्ष रामनारायण जाति धाकड निवासीगण सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
प्रतिवादी कम 1 :– स्वयं
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम एवं माल सहरोद पटवार क्षेत्र सहरोद तहसील अटरू में खाता संख्या 387 के ख0नं0 1902/729 का रकबा 0.36 है0 एवं ख0नं0 728 का रकबा 0.42 है0 का राजस्व टीम बनाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान करावे और प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाये जाने पर उन्हे बेदखल कर खातेदार वादी को कब्जा संभलाया जावे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.08.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)